रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245191
CG-DL-E-17042023-245191

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945
No. 232]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 293(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरदर्शन कार्यालय महानिदेशक का कार्यालय, हिंदी अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय) भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पदों की भर्ती की पद्धति के विनियम के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति,-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति मामले में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. सहायक निदेशक (राजभाषा)	12* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पणी-1:-** प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्ति	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर 10 (56100-177500 रू) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।

	पर माने गए सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पणी-2:-** यह नियम केंद्रीय सरकार के सभी सहायक निदेशक (राजभाषा) की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगे जो निगम में माने गए प्रतिनियुक्ति पर हैं।							

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती से या प्रोन्नति से या प्रतिनियुकृति से या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
10.	**11.**	**12.**	**13.**
प्रोन्नति द्वारा : **टिप्पण-1:-** प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक प्रवर्ग में निगम द्वारा निश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गो अर्थात् निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। **टिप्पण-2:-** निगम द्वारा अधिसूचित उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन	प्रोन्नति : वेतन मेट्रिकस स्तर 6 (रू. 35400-112400) में ऐसे हिंदी अनुवादक जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। **टिप्पण:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों ने जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके जयेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. सदस्य (कार्मिक) प्रसार भारती - अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक (मानव संसाधन) / (प्रशासन) या उप महानिदेशक(मानव संसाधन) / (प्रशासन) दूरदर्शन - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए)	लागू नहीं होता।

लागू विनियम के अनुसार रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी न गई हों, निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तगर्त अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा भरी जाएंगी।	या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. सदस्य (कार्मिक) प्रसार भारती - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक (मानव संसाधन) / (प्रशासन) या उप महानिदेशक(मानव संसाधन) / (प्रशासन) दूरदर्शन - सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/2/2015-बीएपी]

सी. सेंथिल राजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2023

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the Office of the Director General, Doordarshan, Hindi Officer (Group 'B' Gazetted Non-Ministerial) Recruitment Rule, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in Doordarshan, Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. **Short title and commencement –** (1)These Rules may be called the Doordarshan Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruitment.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
Assistant Director (Official Language)	12* (2023) *Subject to variation dependent on the work load. **Note-1.-** The aggregate number of posts in the grade occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation shall not, at any time, exceed the total number of posts sanctioned for that grade. **Note-2.-** These rules shall cease to exist on the superannuation of all Assistant Directors (Official Language) from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group ‘A’. Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	**Circumstances in which Union Public Service Commissions to be consulted in making recruitment.**
9.	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**
Two years.	By promotion **Note-1.-** The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grade, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. **Note-2.-** The vacancies, which may remain unfilled by promotion, shall be filled up by deputation (including short-term contract) in accordance with the applicable regulations notified by the Corporation under section 33 of the said Act.	Promotion: Hindi Translator in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with ten years' regular service in the Grade. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati -Chairperson; 2. Additional Director General (Human Resource)/(Administration) or Deputy Director General (Human Resource)/(Administration), Doordarshan - Member; 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Member (Personnel), Prasar Bharati -Chairperson; 2. Additional Director General (Human Resource)/(Administration) or Deputy Director General (Human Resource)/(Administration), Doordarshan - Member; 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/2/2015-BAP]

C. SENTHIL RAJAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.17 14:28:44 +05'30'